

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्रीमति शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं० : 210/2020

1. जोगेन्द्रसिंह पुत्र धर्मसिंह जाति जाट निवासी डूंगराना त० भादरा।

:- वादी

ब न म

1. धर्मसिंह पुत्र नोपाराम जाति जाट निवासी डूंगराना त० भादरा।
2. दोलतराम पुत्र धर्मसिंह जाति जाट निवासी डूंगराना त० भादरा।
3. सुमित्रा पुत्री धर्मसिंह पत्नी नत्थूराम जाति जाट निवासी डूंगराना त० भादरा हाल ललाना त० नोहर जिला हनुमानगढ।
4. सरस्वती पुत्री धर्मसिंह पत्नी जयप्रकाश जाति जाट निवासी डूंगराना त० भादरा हाल आसन त० भादरा जिला हनुमानगढ।
5. सुनिता पुत्री धर्मसिंह पत्नी फतेहसिंह जाति जाट निवासी डूंगराना त० भादरा हाल झांसल त० भादरा जिला हनुमानगढ।
6. राज० सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री कृष्ण भारी एवं वकील प्रतिवादीगण श्री लीलाधर अग्रवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा डूंगराना के खाता सं० 395/367 के खसरा सं० 147/1 की 8.569है०, खसरा सं० 643/1 की 1.061है०, खसरा सं० 501 की 1.619है० कुल 11.249है० बरानी खातेदारी वादभूमि प्रतिवादी सं० 1 धर्मसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में प्रतिवादी सं० 1 धर्मसिंह की बजाय वादी जोगेन्द्रसिंह व प्रतिवादी सं० 1 धर्मसिंह व प्रतिवादी सं० 2 दोलतराम को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। चूंकि प्रतिवादी सं० 3 ता 5 ने अपना हक व हिस्सा उक्त वाद भूमि में से वादी व प्रतिवादी सं० 1 व 2 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ...31/08/21... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

**सहायक कलक्टर
(फास्ट-ट्रैक) भादरा**

R.A.S.

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)

भादरा, जिला हनुमानगढ

